

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/ 600

दिनांक :- 01/08/2024

आदेश संख्या:- 151/2024-25

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त(नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14(88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88)वित्त/नियम/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-बैंड 2 (9300-34800) में ग्रेड-पे 4800/- स्वीकृत की जाती है।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं. लिंक नं.	कनिष्ठ लेखाकार/ समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	देवीसिंह देपावत (सेवानिवृत्त)	392/1986 3196	27.09.1984	27.09.2011	

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

- पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
- कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
- गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/अलेसे-III/ 600 दिनांक:- 01/08/2024
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/एपीएआर शाखा।
- निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
- रक्षित/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)